


कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश  
(जी०एस०टी० अनुभाग)  
लखनऊ :: दिनांक 22 जुलाई, 2024

**// आदेश //**

जी०एस०टी० प्रैक्टिशनर्स के ऐलाटमेन्ट की प्रक्रिया के संबंध में इस कार्यालय से जारी आदेश संख्या 704/जी०एस०टी०/2023-24/ वाणिज्य कर दिनांक 29-12-2023 से श्रीमती सीमा सरोज, उप निदेशक, वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, गोमतीनगर लखनऊ तथा श्रीमती निरूपमा सक्सेना, उप निदेशक, वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान को जी०एस०टी० प्रैक्टिशनर्स के प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु नामित किया गया था। श्रीमती सीमा सरोज, उप निदेशक द्वारा स्वास्थ्य कारणों से आदेश संख्या-704/जी०एस०टी०/2023-24/ वाणिज्य कर दिनांक 29-12-2023 में संशोधन करते हुए उत्तर प्रदेश माल एवं सेवाकर नियमावली, 2017 के नियम 83 में विहित प्रक्रिया के अनुसार जी०एस०टी० प्रैक्टिशनर से प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु श्रीमती रश्मि अवस्थी, उप निदेशक को नामित किया जाता है। श्रीमती निरूपमा सक्सेना, उप निदेशक, वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान गोमतीनगर, लखनऊ पूर्ववत अपने दायित्वों का निर्वहन करती रहेंगी।

आई०टी०अनुभाग, मुख्यालय के स्तर से कॉमन पोर्टल पर श्रीमती सीमा सरोज को आंवटित "GSTN Approval Role" श्रीमती रश्मि अवस्थी, उप निदेशक को दिये जाने तथा श्रीमती सीमा सरोज की लॉगिन आई०डी० पर उपलब्ध अनिस्तारित प्रार्थना पत्रों को श्रीमती रश्मि अवस्थी, उप निदेशक की लॉगिन आई०डी० पर ट्रांसफर करना सुनिश्चित करेंगे।

इस कार्यालय से जारी आदेश सं०-334/जी०एस०टी०/2018-19/ वाणिज्य कर दिनांक 25-06-2018 यथासंशोधित आदेश संख्या-जी०एस०टी०/2020-21/213/ वाणिज्य कर दिनांक 24-08-2020 एवं जी०एस०टी०/ 2021/720/ वाणिज्य कर, दिनांक 11-03-2022 एवं जी०एस०टी०/ 2023-24/704/ वाणिज्य कर, दिनांक 29-12-2023 को उक्त सीमा तक संशाधित समझा जाये।

  
(डॉ० नितिन बंसल)  
आयुक्त, राज्य कर  
उत्तर प्रदेश।

पृ०प०सं०// तद्दिनांकित उक्त।

प्रतिलिपि -निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1 अपर निदेशक, वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, गोमतीनगर, लखनऊ।
- ✓ 2 संयुक्त आयुक्त (आई०टी०), राज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को वॉछित कार्यवाही / वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 3 संयुक्त आयुक्त (स्थापना राजपत्रित), राज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 4 श्रीमती सीमा सरोज, उप निदेशक, वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, गोमतीनगर, लखनऊ को अनुपालनार्थ प्रेषित।
- 5 श्रीमती रश्मि अवस्थी, उप निदेशक, वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, गोमतीनगर, लखनऊ को अनुपालनार्थ प्रेषित।

संयुक्त आयुक्त (जी०एस०टी०)  
राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।